न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2009
प्रविष्टि दिनांक 07.10.2009

कानाराम पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी गनवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 24.08.2009 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री परशुराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 05.01.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2009 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2380 / 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी–2 वाके ग्राम गनवर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अपीलांट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 2380 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल गुर्जर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.1979 से क्रय की थी। धारा 82 लै.रे.एक्ट के तहत रेफरेंस करने पर उक्त आराजी मेरी खातेदारी से सिवायचक मे अंकित की गई है। इस संबंध मे अपीलांट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे स्पेशल अपील कर रखी है जिसमे स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अपीलांट उक्त आरजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:30:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सन् 1979 से काबिज है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2380/3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी–2 भूमि वाके ग्राम गनवर तहसील मालपुरा पर ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे स्थगन आदेश होने के बावजूद तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 24.08.2009 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 24.08.2009 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/साक्ष्य–सबूत पेश करने का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:30:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner